संख्या-10/2015/एम0एस0-62/52-2-15

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अपर सर्वे आयुक्त वक्फ
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 20 अक्टूबर,2015

विषय- वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु उ0प्र0 सुन्नी/शिया सेंण्टल वक्फ बोर्ड द्वारा किये जाने वाले पत्राचारो पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रायः बोर्ड द्वारा वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा के संबंध में लिये जाने वाले निर्णयों का जिलाधिकारी/अपर सर्वे आयुक्त वक्फ द्वारा ससमय अनुपालन नही कराया जा रहा है तथा इससें सूचनायें आदि उपलब्ध नहीं करायी जा रही, जिसके कारण वक्फ सम्पत्तियों को अपराधिक प्रवृत्ति के लोग विभिन्न स्थान पर मौका पाकर खुर्द-बुर्द कर लेते है और इससे वक्फ की सुरक्षा भी समय पर नहीं हो पाती है। ऐसा प्रतीत होता है, कि वक्फ बोर्ड चाहे वह शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड कदाचित उन्हें कम महत्व वाली संस्था मानकर पत्रों का ससमय उत्तर देना भी आवश्यक नहीं समझा जाता है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में स्थित बेशकीमती वक्फ समपत्तियों पर होने वाले नाजायज कब्जों को राकने तथा इन्हें खुर्द-बुर्द होने से बचाने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा के संबंध में उ0प्र0 शिया/सुन्नी सेण्टल वक्फ बोर्ड, लखनऊ द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों पर किये गये पत्राचारों को कृपया गम्भीरता से लेते हुए वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा के संबंध में बोर्ड के समन्वय से तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय। उक्त के अतिरिक्त आपके स्तर पर भी वक्फ सम्पत्तियों पर अवैध कब्जे के प्रकरण संज्ञान में आने पर त्वरित व प्रभावी कार्यवाही सुचिश्चित की जाय।

कृपया उक्त आदेशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन सुनिश्चत करें।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
2. अपर सर्वे आयुक्त, वक्फ उ0प्र0, लखनऊ ।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 सुन्नी /शिया सेन्टल वक्फ बोर्ड, लखनऊ।
5. संबंधित पत्रावली।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in